upload ... 23/8/18

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / फा / भूप्रआ / समु / भूकर / 11 / 2 / 2 / 2004–05 / **दिनांकः–**

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
अलवर।

विषयः– ग्राम उदलवाडा तहसील सिकराय जिला दौसा की भू–प्रबन्ध संक्रियाएं बन्द की अधिसूचना बाबत्।

प्रसंगः– अधिसूचना क्रमांक प.13(18)राज / ग्रुप–1 / 2011 दिनांक 01.08.2018 (धारा 106, 107, 108) के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अधिसूचनाओं के तहत ग्राम उदलवाडा तहसील सिकराय जिला दौसा की भू–प्रबन्ध संक्रियाएं धारा 106, 107, 108 के तहत बन्द घोषित की गई है। अतः प्रासंगिक अधिसूचनाओं की एक–एक छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि बन्द घोषित किये जा चुके ग्राम का नवीन अभिलेख जिला कलक्टर, दौसा को 15 दिवस में संभलाकर सूचना मुख्यालय को भी भिजवावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

ह०

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0भू–प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / फा / समसंख्यक / 2112 दिनांकः– 21-8-18

प्रतिलिपिः–

1– प्रोग्रामर,मुख्य कार्यालय को अधिसूचना की एक–एक छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

N Jain

सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी
मुख्यावास राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प013(18)राज.–1/2011 पार्ट जयपुर, दिनांक - 1 AUG 2018

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एत्‌दद्वारा निर्देश देती है कि तहसील सिकराय जिला दौसा के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक प0 13(13)राज./ग्रुप–1/2003 दिनांक 08.07.2004 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के कुल 139 ग्रामों में से 138 ग्राम का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण होने से अधिसूचना क्रमांक प0 13(18)राज./ग्रुप–1/2011 दिनांक 17.11.2011, 21.09.2012, 06.02.2013 व 05.04.2016 से बन्द घोषित हो चुके हैं। अतः शेष रहे 01 **ग्राम यथा उदलवाडा** का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्राम का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

R.R.
16-8-18

राज्यपाल की आज्ञा से

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, दौसा।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/2/2004–05/1794 दिनांक 18.07.2018।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR/461
20/8/18

क्रमांक 679

एस.एम (ASO)
138.18

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प013(18)राज.–1/2011 पार्ट जयपुर, दिनांक 1 AUG 2018

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–107 व 108 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि तहसील सिकराय जिला दौसा के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक प0 13(13)राज./ग्रुप–1/2003 दिनांक 08.07.2004 व संशोधित अधिसूचना दिनांक 19.05.2006 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी अलवर को अपर भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त कुल 139 ग्रामों में से 138 ग्राम का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण होने से अधिसूचना क्रमांक प0 13(18)राज./ग्रुप–1/2011 दिनांक 17.11.2011, 21.09.2012, 06.02.2013 व 05.04.2016 से बन्द घोषित हो चुके हैं। अतः शेष रहे **01 ग्राम यथा उदलवाडा** का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्राम के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाकर अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

R.
16-8-18

राज्यपाल की आज्ञा से

पत्र–प्राप्ति
AUG 2018
क्रमांक 680

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, दौसा।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/2/2004–05/1794 दिनांक 18.07.2018।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR/462
20/8/18